



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18112021-231228
CG-MH-E-18112021-231228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943

No. 575]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2021

सं. टीएमपी/48/2021-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, नए कार्गो अर्थात् औद्योगिक नमक के लिए प्रदर्शन मानदंडों के समावेशन के लिए और आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा निर्धारित और आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 28 अक्टूबर 2020 द्वारा विस्तारित रॉक फास्फेट के लिए प्रदर्शन मानदंडों में प्रस्तावित कटौती, मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों के विस्तार के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है। दरों के साथ (स्पष्ट) आदेश अधिसूचित करने में लगने वाले समय पर विचार करते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, इस प्राधिकरण ने तत्काल केवल प्रदर्शन मानदंड अधिसूचित करने का निर्णय किया था। तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा 26 अक्टूबर 2021 द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानदंड 01 नवंबर 2021 को राजपत्र सं. 537 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना में कहा गया था कि यह प्राधिकरण आने वाले समय में स्पष्ट आदेश अधिसूचित करेगा। तदनुसार, यह प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार एनएमपीटी के प्रस्ताव के निपटान से संबंधित स्पष्ट आदेश अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/48/2021-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास

- - -

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(अक्टूबर, 2021 के 26 वें दिन पारित)

यह मामला आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा निर्धारित मौजूदा कार्यनिष्पादन मानदंडों (रॉक फास्फेट के लिए प्रस्तावित कटौती के सिवाय) के विस्तार के लिए और आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 28 अक्टूबर 2020 द्वारा विस्तारित और नए कार्गो अर्थात् औद्योगिक नमक के लिए कार्यनिष्पादन मानदंडों के समावेशन हेतु न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त ईमेल दिनांक 08 सितंबर 2021 के साथ प्रस्ताव दिनांक 01 सितंबर 2021 से संबंधित है।

2.1. प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा, एनएमपीटी के प्रस्ताव के आधार पर और हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद और संयुक्त सुनवाई करने के बाद, शुष्क बल्क कार्गो के लिए महापत्तन न्यासों हेतु बर्थिंग नीति, 2016 के अधीन अपेक्षित कार्यनिष्पादन मानदंडों तथा प्रोत्साहनों/जुर्मानों के संशोधन के लिए एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित किया था। इस आदेश को राजपत्र सं. 380 द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित आदेश 29 नवंबर 2019 से लागू हुआ और वैधता 1 वर्ष की अवधि अर्थात् 28 नवंबर 2020 के लिए निर्धारित है।

2.2. बाद में, प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 28 अक्टूबर 2020 द्वारा शुष्क थोक कार्गो और प्रोत्साहन तथा प्रदर्शन मानकों से जुड़े जुर्मानों के लिए मौजूदा प्रदर्शन मानकों की वैधता विस्तारित की थी। इस आदेश को राजपत्र सं. 504 द्वारा 19 नवंबर 2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश 28 नवंबर 2021 तक वैध है।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, एनएमपीटी ने रॉक फॉस्फेट को छोड़कर सभी कार्गो के लिए मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों की वैधता के विस्तार के लिए वर्तमान प्रस्ताव दाखिल किया है जिसके लिए पत्तन ने प्रदर्शन मानदंडों में कमी का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने औद्योगिक नमक नामक नए कार्गो के लिए प्रदर्शन मानदंडों का भी प्रस्ताव किया है।

3.2. एनएमपीटी द्वारा 01 सितंबर 2021 के अपने प्रस्ताव में दिए गए मुख्य बिंदु नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- (i). टीएमपी ने अपने आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 28 अक्टूबर 2020 द्वारा एनएमपीटी में शुष्क बल्क कार्गो पोत के लिए निष्पादन मानदंडों दंड और प्रोत्साहन की वैधता को एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया था।
- (ii). चूंकि आदेश की वैधता 28 नवंबर, 2021 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए शुष्क थोक पोतों के निष्पादन की समीक्षा की गई थी।
- (iii). 01 नवंबर 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए, 53 बल्क कार्गो पोतों को स्टीवडोर्स द्वारा पत्तन संचालित बर्थों पर प्रहस्तित किया गया था। उसमें से 37 जलयानों अर्थात् 70 प्रतिशत पोतों ने लगभग 5 प्रतिशत जलयानों को निष्पादन मानदंडों को प्राप्त किया है और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है। 5 जलयानों अर्थात् 9 प्रतिशत पोतों पर या तो जुर्माना नहीं लगाया गया है और न ही प्रोत्साहन और उनका प्रदर्शन मानदंडों के (+/-) 5 प्रतिशत की सीमा के भीतर बराबर है। 11 पोतों यानी 21 प्रतिशत जलयानों पर जुर्माना लगाया गया है। 01 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए 53 शुष्क थोक पोतों द्वारा अर्जित प्रदर्शन अनुबंध-1 में प्रस्तुत किया गया है। ये समग्र प्रदर्शन मानदंड हैं जो पोत-वार अर्जित किए गए हैं जहां स्टीवडोर्स ने जलयान क्रैन, 64 टन एचपीएमसी और 100 टन एचपीएमसी के संयोजन का उपयोग विभिन्न विस्तार के लिए किया है।
- (iv). (क). इस संबंध में पत्तन ने प्रदर्शन मानदंडों की समीक्षा के लिए एनएमपीटी के पंजीकृत स्टीवडोर्स के साथ 19 जुलाई 2021 को एक बैठक आयोजित की। बैठक में एसोसिएशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट स्टीवडोर्स (एएनएमपी) और अन्य स्टीवडोरिंग एजेंटों ने सर्वसम्मति से बंदरगाह से आग्रह किया कि वह शुल्क बल्क के लिए प्रदर्शन मानदंडों में वृद्धि न करे। स्टीवडोर्स ने राय दी कि महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव से किनारे के उपकरणों और कार्यबल के जुड़ाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- (ख). उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पत्तन अवसंरचना में कोई उन्नयन नहीं देखा गया है और पत्तन के स्वामित्व वाली 64 टन क्षमता की मौजूदा 2 हारबर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) पुरानी हो रही हैं। इस प्रकार, मानदंडों में उत्पादकता को पूरा करना कठिन हो रहा है।
- (ग). उपलब्ध कराई गई 100 टन की निजी हार्बर मोबाइल क्रेन भी पुरानी है। लेकिन, इस क्रेन के लिए निर्धारित मानदंड काफी अधिक हैं जिससे जुर्माना लगाया जा रहा है।
- (घ). उपरोक्त को देखते हुए स्टीवडोर्स ने पत्तन से अनुरोध किया है कि वे स्टीवडोर्स पर जुर्माने का बोझ कम से कम करें और कार्यनिष्पादन मानदंड न बढ़ाएं।
- (ङ). 19 जुलाई 2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त अनुबंध-2 के रूप में संलग्न हैं।

- (v). इसके अलावा, एनएमपीएस ने अपने पत्र सं. 07/2021-22 दिनांक 23 जुलाई 2021 (अनुबंध-3) द्वारा उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है और नीति को अंतिम रूप देने के समय उनके विचारों पर विचार करने का अनुरोध किया है। एनएमपीटी को संबोधित पत्र दिनांक 23 जुलाई 2021 में एनएमपी द्वारा दिए गए मुख्य बिंदुओं को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
- (क). बैठक के दौरान एनएम ने जोरदार ढंग से अनुरोध किया है कि निम्नलिखित कारणों से प्रदर्शन मानदंडों में वृद्धि न की जाए—
- कामकाजी माहौल में न तो कोई बदलाव हो रहा है और न ही बुनियादी ढांचे में कोई सुधार। पत्तन पर प्राप्त किए जा रहे पोत पुराने और धीमे हैं। पत्तन क्रेन पुरानी हैं। कार्गो परिचालनों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा निजी एचपीएमसी भी पुराना है।
 - पत्तन पर आने वाले पोतों की स्थिति – या तो पोतों के क्रेन/डेरिक पूरे समय काम करने की स्थिति में नहीं हैं/हैंचों से कार्गो की पर्याप्त मात्रा में लिफ्ट, या पोतों के जनरेटर एक समय में एक स्थिति में नहीं है, प्रदान करने के लिए/पोत के सभी 4 क्रेन/डेरिकों के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति, स्कूपिंग – ग्रेबों की एकत्रण क्षमता खराब आदि हैं।
 - पत्तन पर 64 मीट्रिक टन क्षमता की 2 क्रेन हैं। अधिकांश समय एक मरम्मत के अधीन रहता है। इसके अलावा, यदि कंटेनर पोत पत्तन पर है या प्राप्त होने की संभावना है, तो एनएमपीटी कंटेनर लदाई/उतराई काम के लिए इन क्रेनों की सेवाएं देता है/आबंटित करता है।
- (ख). पिछले 17 महीनों के दौरान इस अवधि के दौरान, 2 महीनों को छोड़कर, कोविड-19 प्रथम और द्वितीय वेव से संबंधित समस्याओं के कारण पुरुषों और सामग्री की आवाजाही में प्रतिबंध थे।
- (ग). कई बार पोत को विभिन्न परेशानियों के लिए दो/अधिक प्रकार/ग्रेड कार्गो के साथ लदाई/उतराई करना होगा। इसलिए, प्रत्येक पार्सल के पूरा होने के बाद नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण का मसौदा तैयार किया जाएगा ताकि पत्तन पर लदाई/उतराई की मात्रा का पता लगाया जा सके। यहां प्रदर्शन मानदंडों पर अलग से विचार किया जाना है।
- (घ). खाद्य ग्रेड कार्गो केवल धूप/उज्ज्वल मौसम की स्थिति के दौरान लदान किया जाना है। बादल/खराब मौसम के दौरान इस कार्गो का लदान नहीं किया जा सकता। इसलिए, यथानुपात प्रदर्शन मानदंड लागू होंगे।
- (ङ). वर्ष के दौरान, कठिन प्रयासों/भारी खर्च के साथ, हमने कार्यबल, भारी वाहन चालकों/परिचालकों, पर्यवेक्षकों आदि को जुटाया था, हालांकि महामारी-19-दूसरी लहर से संबंधित मुद्दे थे। हमने सभी बाधाओं के बीच कार्गो प्रहस्तन और परिवहन कार्य में भाग लिया था। इस प्रकार, यह नहीं लगाया जाएगा कि विशेष कार्गो के मामले में प्रदर्शन मानदंडों में ऊपर संशोधन की गुंजाइश दिखाई देती है। एनएमपीएस प्रस्तुत करता है, कि किसी भी स्थिति में प्रदर्शन मानदंडों को बढ़ाया नहीं जाना है।
- (च). बेंटोनाइट, उर्वरक/रॉक फॉस्फेट, स्टोन/डोलोमाइट आदि जैसे कार्गो के मामले में बाधाओं को समझाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए और कार्गो की अंतर्निहित प्रकृति, एनएमपीएस ने कुछ वस्तुओं के प्रदर्शन मानदंडों को कम करने का अनुरोध किया है। इस पर विचार किया जा सकता है।
- (छ). इसके अलावा 100 मीट्रिक टन क्षमता का केवल एक निजी एमएचसी है जो कार्गो प्रहस्तन कार्यों में भाग लेने के लिए बहुत पुराना है। इस प्रकार चार्ट में, विभिन्न कार्गो के लिए इस बार, 1 एमएचसी के लिए प्रदर्शन मानदंडों का उल्लेख केवल वर्तमान चार्ट का उल्लेख किया जाना चाहिए यह 2 एमएचसी के लिए है।
- (vi) पत्तन की बैठक के आधार पर, और तथ्यों पर विचार करते हुए और एनएमपीटी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित, टीएमपी से बर्थिंग पॉलिसी की आगामी समीक्षा में निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।
- (क) शुष्क बल्क कार्गो पोतों (रॉक फॉस्फेट पोतों को छोड़कर) के लिए प्रदर्शन मानदंडों, दंड, प्रोत्साहन और लंगरगाह शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखा जा सकता है, यानी 29 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2022 तक।
- (ख) वर्तमान निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों और रॉक फॉस्फेट के लिए प्राप्त वास्तविक प्रदर्शन की तुलना नीचे सारणीबद्ध की गई है:

घटक	4 जलयान क्रेन (टन/दिन)		64 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)		100 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)	
	मौजूदा मानदंड	अर्जित	मौजूदा मानदंड	अर्जित	मौजूदा मानदंड	अर्जित
रॉक फॉस्फेट	8200	3412	8000	4192	10000	5571

रॉक फॉस्फेट एक अत्यधिक धूल भरा कार्गो है। प्रहस्तन के दौरान निकलने वाली धूल को कम करने के लिए कार्गो परिचालन कंपित और धीमा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ट्रकों को कार्गो की उतराई हॉपर के जरिए किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का आयात करने वाले पोत पत्तन पर नियमित आगंतुक नहीं हैं। इसलिए, निर्वहन के लिए पर्याप्त संख्या में हॉपरों को जुटाने में अतिरिक्त समय लगता है। इसलिए रॉक फॉस्फेट और अन्य एफएमपी के लिए मानकों को कम करना होगा।

- (ग) वित्तीय वर्ष 2020-21 में पत्तन ने औद्योगिक नमक अर्थात् नए कार्गो को प्रहस्तित किया। इस कार्गो के लिए प्राप्त वास्तविक प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

घटक	4 जलयान क्रेन (टन/दिन)		64 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)		100 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)	
	मानदंड	अर्जित	मानदंड	अर्जित	मानदंड	अर्जित
औद्योगिक नमक	--	--	--	13502	--	14528

पोत के वास्तविक प्रदर्शन को देखते हुए औद्योगिक नमक के मानदंडों को नए सिरे से शामिल करने का प्रस्ताव है।

- (घ) इन दोनों वस्तुओं के लिए प्रस्तावित मानदंड नीचे दिए गए हैं और इनकी वैधता अवधि यानि 28 नवंबर 2022 हो सकती है।

घटक	4 जलयान क्रेन (टन/दिन)		64 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)		100 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)	
	मौजूदा मानदंड	प्रस्तावित मानदंड	मौजूदा मानदंड	प्रस्तावित मानदंड	मौजूदा मानदंड	प्रस्तावित मानदंड
रॉक फॉस्फेट	8200	3500	8000	3500	10000	4000
औद्योगिक नमक	--	12000	--	13500	--	14500

3.3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एनएमपीटी ने प्राधिकरण से विषय प्रस्ताव पर विचार करने और आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

4. विषय प्रस्ताव के लिए एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड की मंजूरी प्रस्ताव के साथ नहीं थी। इस संबंध में, हमने 09 सितंबर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से एनएमपीटी से अनुरोध किया है कि वह इस विषय प्रस्ताव के लिए एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन की प्रति जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। एनएमपीटी ने 25 अक्टूबर 2021 के अपने ईमेल के माध्यम से इस विषय प्रस्ताव के लिए एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड के अनुमोदन की एक प्रति प्रस्तुत की है।

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, 01 सितंबर 2021 और 08 सितंबर 2021 के एनएमपीटी प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों की मांग करने वाले संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को हमारे पत्र दिनांक 09 सितंबर 2021 के माध्यम से परिचालित की गई थी। किसी भी उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संगठन ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं।

6. संदर्भ में मामले पर एक संयुक्त सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 06 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई थी। एनएमपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। संयुक्त सुनवाई में एनएमपीटी और संबंधित उपयोगकर्ता/संगठन निकायों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं।

7. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का एक अंश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

8. मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:

- (i). एनएमपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा पत्तन द्वारा किए गए वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा के बाद जारी बर्थिंग नीति, 2016 के तहत प्रदर्शन मानदंडों और प्रोत्साहन/दंड के विस्तार के लिए है। बर्थिंग नीति, 2016 के तहत प्रदर्शन मानदंडों और प्रोत्साहन/दंड की वैधता को प्राधिकरण ने सबसे पहले अपने आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के माध्यम से अनुमोदित किया था, जो 29 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एनएमपीटी में

प्रहस्तित किया गया था। इसे 28 अक्टूबर, 2020 के आदेश के माध्यम से 28 नवंबर, 2021 तक के आदेश को आगे बढ़ा दिया गया था।

- (ii). (क). एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा जारी बर्थिंग नीति, 2016 के खंड 72 में महापत्तन न्यासों को मानदंडों की समीक्षा करने और मानकों में वृद्धि करने की आवश्यकता है यदि 60 प्रतिशत से अधिक—70 प्रतिशत पोत लक्ष्य मानदंडों तक पहुंचने तक निर्धारित मानदंडों को प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, बर्थिंग नीति के खंड 8.5 में यह निर्धारित किया गया है कि जब तक घटक के लिए लक्ष्य मानदंड नहीं पहुंच जाते तब तक पहले वर्ष के दौरान हर तिमाही में प्रदर्शन मानदंडों को संशोधित किया जाएगा। इसके बाद संशोधन वार्षिक या बर्थ अवसंरचना के उन्नयन पर किया जाएगा।
- (ख) बर्थिंग नीति 2016 के अनुसार, पत्तन ने नवंबर 2020 की अवधि के लिए 30 जून 2021 तक प्रदर्शन मानदंडों की समीक्षा की है।
- (ग) इस प्रकार की समीक्षा में यह सूचित किया गया है कि इस अवधि के दौरान 53 पोतों में से 70 प्रतिशत जलयानों को 5 प्रतिशत से ऊपर का लक्ष्य प्राप्त किया गया और उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, 21 प्रतिशत पोतों को मानदंडों से नीचे किया गया और जुर्माना वसूला गया, 9 प्रतिशत पोतों ने निर्धारित मानदंडों के भीतर प्रदर्शन किया और न ही प्रोत्साहन और न ही जुर्माना वसूला गया।
- (घ). पत्तन ने 19 जुलाई 2021 को प्रदर्शन मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एनएमपीटी के पंजीकृत स्टीवडोर्स के साथ बैठक भी की। उक्त बैठक में एसोसिएशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट स्टीवडोर्स (एएनएमपी) और अन्य स्टीवडोरिंग एजेंटों ने सर्वसम्मति से पत्तन से आग्रह किया कि वह शुष्क बल्क के लिए प्रदर्शन मानदंडों में वृद्धि न करे।

(iii) मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों को बनाए रखने के लिए एएनएमपी/व्यापार द्वारा पत्तन को दिए गए मुख्य कारण हैं—

- (क) स्टीवडोर्स ने राय दी कि महामारी और लॉकडाउन के प्रभाव से तट उपकरणों और कार्यबल के जुड़ाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- (ख) पत्तन अवसंरचना में कोई अपग्रेडेशन देखा गया है और पत्तन के स्वामित्व वाली 64 टन क्षमता की मौजूदा दो हारबर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) पुरानी हो रही हैं। इस प्रकार, उत्पादकता को पूरा करने के लिए निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करना कठिन हो रहा है।
- (ग). उपलब्ध करवाई गई 100 टन निजी एचएमसी भी पुरानी है। परंतु, इस क्रेन के लिए निर्धारित मानदंड काफी अधिक है जिससे जुर्माना लगाया जा रहा है।

उपरोक्त को देखते हुए स्टीवडोर्स ने पत्तन से अनुरोध किया है कि वे स्टीवडोर्स पर जुर्माने का बोझ कम से कम करें और मौजूदा कार्यनिष्पादन मानदंड न बढ़ाएं।

एनएमपीएस/व्यापार के साथ बैठक के परिणाम के आधार पर एनएमपीटी ने रॉक फॉस्फेट को छोड़कर मौजूदा मानदंडों को बनाए रखते हुए सभी कार्गो के लिए मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों की वैधता बढ़ाने का वर्तमान प्रस्ताव दाखिल किया है जिसके लिए पत्तन ने प्रदर्शन मानदंडों में कमी का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने औद्योगिक नमक नामक नए कार्गो के लिए प्रदर्शन मानदंडों का भी प्रस्ताव किया है। पत्तन के उक्त प्रस्ताव को एनएमपीटी के अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है।

उक्त प्रस्ताव के साथ, एनएमपीटी ने कार्यनिष्पादन मानदंडों में प्रस्तावित कटौती के लिए औचित्य के साथ रॉक फॉस्फेट के लिए अर्जित वास्तविक उत्पादकता के सापेक्ष आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के साथ पठित आदेश सं. टीएएमपी/73/2018—एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा यथा अनुमोदित मौजूदा कार्यनिष्पादन मानकों की तुलना दर्शाता विवरण भी अग्रेषित किया है।

(iv). बर्थिंग नीति के खंड 7.2 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि 60 प्रतिशत—70 प्रतिशत से अधिक जलयान निर्धारित मानदंडों को प्राप्त कर रहे हैं, तो पत्तन को मानदंडों में वृद्धि करनी चाहिए।

पत्तन ने बताया है कि 70 प्रतिशत पोतों ने निर्धारित मानदंड अर्जित किए हैं। तथापि, एनएमपीएस और अन्य स्टीवडोरिंग एजेंटों द्वारा एनएमपीटी को किए गए इस अनुरोध के आधार पर कि 19 जुलाई 2021 को हुई बैठक में शुष्क बल्क के लिए मौजूदा कार्यनिष्पादन मानदंडों में वृद्धि नहीं की जाए, एनएमपीटी ने रॉक फॉस्फेट के सिवाय सभी कार्गो के लिए मौजूदा कार्यनिष्पादन मानदंडों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए पत्तन ने कार्यनिष्पादन मानदंडों में कटौती का प्रस्ताव किया है जिसपर अनुवर्ती अनुच्छेद में संव्यवहार किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और यह स्वीकार करते हुए कि मौजूदा उत्पादकता मानदंडों को बनाए रखने का प्रस्ताव व्यापार द्वारा किए गए अनुरोध से उत्पन्न होता है, प्राधिकरण पत्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित करता है।

(v). जहां तक रॉक फॉस्फेट का संबंध है, 28 अक्टूबर 2020 के आदेश के साथ पठित आदेश सं. टीएएमपी/73/2018—एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में निर्धारित मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों को और 01 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए पत्तन द्वारा अर्जित वास्तविक प्रदर्शन संदर्भ में आसानी के लिए नीचे पुनः पेश किया गया है:

घटक	4 जलयान क्रेन (टन/दिन)		64 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)		100 टन एचएमसी की 2 सं. (टन/दिन)	
	मौजूदा मानदंड	अर्जित	मौजूदा मानदंड	अर्जित	मौजूदा मानदंड	अर्जित
रॉक फॉस्फेट	8200	3412	8000	4192	10000	5571

पत्तन ने कहा है कि रॉक फॉस्फेट एक अत्यधिक धूल भरा कार्गो है। प्रहस्तन के दौरान निकलने वाली धूल को कम करने के लिए कार्गो संचालन कपित और धीमा हो जाता है। इसके अलावा, ट्रकों को कार्गो उतराई हॉपर के जरिए की जाती है। चूंकि रॉक फॉस्फेट का आयात करने वाले पोत नियमित नहीं होते हैं, इसलिए निर्वहन के लिए पर्याप्त संख्या में हॉपर जुटाने में अतिरिक्त समय लगता है।

रॉक फॉस्फेट से निपटने में पत्तन द्वारा प्राप्त वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर और उपरोक्त कारणों से, बंदरगाह ने 4 नग के लिए प्रदर्शन को 3500 टन/दिन, 64 टन एचएमसी के 2 नग के लिए 3500 टन/दिन और 100 टन एचएमसी के 2 नग के लिए 4000 टन/दिन तक कम करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने संशोधित कम उत्पादकता मानदंडों का प्रस्ताव करने के कारणों को पर्याप्त रूप से न्यायोचित ठहराया है। एनएमपीटी ने रॉक फॉस्फेट के लिए बंदरगाह द्वारा प्रस्तावित कम प्रदर्शन मानदंडों का भी समर्थन किया है।

ऐसी स्थिति में, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रस्तावित कम प्रदर्शन मानदंडों के संबंध में एनएमपीटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

- (vi). पत्तन ने पत्तन द्वारा अर्जित वास्तविक उत्पादकता के आधार पर एक नए घटक “औद्योगिक नमक” के लिए प्रदर्शन मानदंडों का भी प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पत्तन ने इस नए कार्गो के केवल एक पोत का प्रहस्तन किया है। चूंकि, औद्योगिक नमक के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन मानदंड कथित तौर पर पत्तन द्वारा प्राप्त वास्तविक उत्पादकता पर आधारित हैं और यह स्वीकार करते हैं कि यह उपयोगकर्ताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, इस संबंध में पत्तन के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है।
- (vii). मामले की कार्यवाही के दौरान, एनएमपीएस और अन्य प्रयोक्ताओं ने पत्तन के पुराने एचएमसी, पत्तन पर पुराने जलयान क्रेनों के साथ पुराने जलयानों और पत्तन पर खराब अवसंरचनाओं के बारे में उल्लेख किया है जो उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इस संबंध में एनएमपीटी ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान 53 पोतों में से 70 प्रतिशत पोतों ने निर्धारित मानदंडों के 5 प्रतिशत से ऊपर प्राप्त किए हैं और उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। यदि पत्तन पर अवसंरचना सुविधा/क्रेन खराब होती तो यह निष्पादन स्तर संभव नहीं होता। तथापि, इस पत्तन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इस पत्तन पर अवसंरचना में सुधार के लिए कहा जाएगा।
- (viii). पत्तन ने मौजूदा प्रोत्साहन और दंड योजना तथा आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के साथ पठित आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में निर्धारित शर्तों में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए, मौजूदा प्रोत्साहन और दंड योजना तथा आदेश दिनांक 28 अक्टूबर 2020 के साथ पठित आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में निर्धारित शर्तों को निर्धारित करना ही जारी रखा गया है।
- (ix). पत्तन ने कहा है कि शुष्क थोक कार्गो पोतों के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन मानदंडों, दंड, प्रोत्साहन और लंगरगाह शुल्क एक और वर्ष के लिए जारी है, यानी 29 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2022 तक। तथापि, पत्तन ने प्रोत्साहन/दंड और मौजूदा शर्तों के साथ पूरी अनुसूची का प्रस्ताव नहीं किया है। यह देखा गया है कि पत्तन का प्रस्ताव मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों के शुद्ध विस्तार के लिए नहीं है। रॉक फॉस्फेट के लिए पत्तन ने कमी का प्रस्ताव किया है और पत्तन ने नए कार्गो जैसे औद्योगिक नमक के लिए प्रदर्शन मानदंडों का भी प्रस्ताव किया है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उचित महसूस किया जाता है कि मौजूदा प्रोत्साहन और दंड योजना के साथ पत्तन द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक नमक के लिए रॉक फॉस्फेट और औद्योगिक नमक के लिए नए प्रदर्शन मानदंडों हेतु कम प्रदर्शन मानदंडों के साथ मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों और आदेश सं. टीएमपी/73/2018-एनएमपीटी दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में निर्धारित मौजूदा शर्तों को एक समेकित स्थिति और कार्यान्वयन में आसानी के लिए अधिसूचित किया गया है। ऐसी स्थिति में, संपूर्ण अनुसूची प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की गई है।
- (x). बर्थिंग नीति, 2016 में पत्तन को प्रदर्शन मानदंडों की वार्षिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। पत्तन ने 29 नवंबर 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 28 नवंबर 2022 तक रॉक फॉस्फेट और प्रदर्शन मानदंडों के लिए संशोधित प्रदर्शन मानदंडों के साथ मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों को बनाए रखने का प्रस्ताव किया है। पत्तन द्वारा एक वर्ष के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन मानदंडों की वैधता बर्थिंग नीति 2016 के अनुसार है। इसलिए पत्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है।
- (xi). पत्तन ने मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक अनुरोध के बावजूद विषय प्रस्ताव पर एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की थी। 25 अक्टूबर 2021 के बाद, एनएमपीटी ने विषय प्रस्ताव के लिए एनएमपीटी के बोर्ड अनुमोदन की प्रति अग्रेषित की थी। बोर्ड अनुमोदन का अवलोकन करने पर, यह देखा गया है कि टीएमपी को भेजे गए प्रस्ताव जिसपर हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था के सापेक्ष बोर्ड

अनुमोदन में औद्योगिक नमक के प्रदर्शन मानकों में बेमेल है। एनएमपीटी द्वारा टीएमपी को प्रस्तावित औद्योगिक नमक के लिए प्रदर्शन मानक 64 टन एचएमसी के 2 नगों और 100 टन एचएमसी के 2 नगों के लिए क्रमशः 13502 टन/दिन और 14528 टन/दिन की दर से अर्जित वास्तविक प्रदर्शन के मुकाबले 13500 टन/दिन और 14500 टन/दिन है। एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड ने इस संबंध में टीएमपी को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है। तथापि, एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड को पत्तन द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी में, औद्योगिक नमक के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन मानक 64 टन एचएमसी के 2 नगों और 100 टन एचएमसी के 2 नगों के लिए क्रमशः 13000 टन/दिन और 16000 टन/दिन दर्शाया गया है जोकि टीएमपी को भेजे गए अपने प्रस्ताव में एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन मानकों से मेल नहीं खाता है जिनपर हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, एनएमपीटी अपने बोर्ड द्वारा अनुसमर्थित औद्योगिक नमक हेतु सही प्रदर्शन मानक प्राप्त करे। ऐसी स्थिति में, इस आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एनएमपीटी द्वारा टीएमपी को प्रस्तावित निष्पादन मानक अनुमोदित करते हुए एनएमपीटी के न्यासी बोर्ड के अधीन है। एनएमपीटी से अनुरोध है कि हमारे अभिलेखों के लिए पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रासंगिक बोर्ड संकल्प की प्रतिलिपि प्रस्तुत करे।

9. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण एक नए कार्गो अर्थात् औद्योगिक नमक के लिए प्रस्तावित रॉक फॉस्फेट और प्रदर्शन मानदंडों के लिए संशोधित कम किए गए प्रदर्शन मानदंडों के साथ मौजूदा प्रदर्शन मानदंडों के विस्तार के लिए एनएमपीटी के प्रस्ताव को मंजूरी देता है और, तदनुसार, प्रदर्शन मानदंड संशोधित किए गए हैं जिन्हें 01 नवंबर 2021 को राजपत्र सं. 537 द्वारा भारत के राजपत्र में अलग से पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./438/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November 2021

No.TAMP/48/2021-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for extension of existing performance norms, reduction proposed in Performance Norms for rock phosphate prescribed vide order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 and extended vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 28 October 2020 and for incorporation of performance norms for new cargo viz. industrial salt. Considering the time involved for notifying (Speaking) Order along with the rates, approved by this Authority, this Authority decided to notify only the Performance Norms immediately. Accordingly, the Performance Norms approved by this Authority on 26 October 2021 was notified in the Gazette of India on 01 November 2021 vide Gazette No.537 It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order connected with disposal of the proposal of the NMPT as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No.TAMP/48/2021-NMPT

New Mangalore Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 26th day of October 2021)

This case relates to the proposal dated 01 September 2021 alongwith email dated 08 September 2021 received from New Mangalore Port Trust (NMPT) for extension of existing performance norms (except for reduction proposed for rock phosphate) prescribed vide order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 and extended vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 28 October 2020 and for incorporation of performance norms for new cargo viz. industrial salt.

2.1. The Authority vide its Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 has, based on the proposal of NMPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing, approved the proposal received from NMPT for revision of Performance norms and incentives/ penalties required under Berthing

Policy for Major Port Trusts, 2016 for Dry Bulk Cargo. This Order was notified in the Gazette of India on 30 October 2019 vide Gazette No.380. The notified Order came into effect from 29 November 2019 and validity is prescribed for a period of 1 year i.e. 28 November 2020.

2.2. Subsequently, the Authority vide its Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 28 October 2020 extended the validity of the existing Performance Standards for dry bulk cargo and incentives and penalties linked to Performance Standards. This Order was notified in the Gazette of India on 19 November 2020 vide Gazette No.504. The said Order is valid till 28 November 2021.

3.1. In this backdrop, the NMPT has filed the current proposal for extension of validity of existing Performance norms for all cargo except Rock Phosphate for which the Port has proposed reduction in the performance norms. The Port has also proposed performance norms for new cargo viz. Industrial Salt.

3.2. The main points made by NMPT in its proposal dated 01 September 2021 are summarised below:

- (i). The TAMP vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 28 October 2020, extended the validity of the performance norms penalty and incentive for dry bulk cargo vessel at NMPT for one more year.
- (ii). As the validity of the Order will be expiring on 28 November 2021, review of performance of dry bulk vessels was undertaken.
- (iii). For the period from 01 November 2020 till 30 June 2021, 53 bulk cargo vessels were handled at Port operated berths by the stevedores. Of that, 37 vessels i.e. 70% of vessels have achieved about 5% of the performance norms and have been awarded incentives. 5 vessels i.e. 9% of the vessels have not incurred either penalty nor incentive and their performance are at par within the limits of (+/-) 5% of the norms. 11 vessels i.e. 21% of the vessels have incurred penalty. The performance achieved by 53 dry bulk vessels for the period 01 November 2020 to 30 June 2021 is furnished in Annexure-1. These are the overall performance norms achieved vessel wise where the stevedores have used a combination of ship crane, 64 Tons HMC and 100 Ton HMC to various extend.
- (iv).
 - (a). In this regard Port held a meeting on 19 July 2021 with the registered stevedores of NMPT to review the performance norms. In the meeting, Association of New Mangalore Port Stevedores (ANMPS) and the other stevedoring agents unanimously urged the Port not to increase the performance norms for dry bulk. The Stevedores opined that the effects of pandemic and lockdowns are adversely affecting mobilization of shore equipment and workforce.
 - (b). They also highlighted that the Port infrastructure has not seen any upgradation and the existing 2 nos. of 64 ton capacity Harbour Mobile Cranes (HMC) owned by port are aging. As such, meeting productivity in norms is getting harder.
 - (c). The 100 tonne private harbour mobile crane that is made available is also older. But, the norms stipulated for this crane is considerably higher leading to penalty.
 - (d). In view of the above, the stevedores have requested the Port to minimise the penalty burden on the stevedores and not to increase the performance norms.
 - (e). The minutes of the meeting held on 19 July 2021 is attached as Annexure-2.
- (v). Further the ANMPS vide letter no.07/2021-22 dated 23 July 2021 (Annexure-3) has elaborated on various issues faced by them and have requested to consider their views at the time of finalization of the policy. The main points made by ANMPS in their letter dated 23 July 2021 addressed to NMPT are summarized below:
 - (a). During the Meeting ANMPS has requested vehemently not to increase in performance norms for following reasons:-
 - (i). There are no changes in working environment nor any improvement in infrastructure. Vessels being received at the Port are old & slow. The Port Cranes are old. The Private HMC being made available for Cargo operations is also old.
 - (ii). The condition of the Vessels calling at the Port – either the Cranes / derricks of Vessels are not in a position to work full time / lift sufficient quantity of Cargo from the hatches, or the generators of the Vessels are not in a position at a time to provide / supply sufficient power to all the 4 Cranes / derricks of the Vessel, the scooping – gathering capacity of the Grabs are poor etc.
 - (iii). At the Port there are 2 Cranes of 64 MT capacity. Most of the times one remains under repairs. Also, if Container Vessels are at Port or are likely to be received,

NMPT gives / allots services of these Cranes for Container Loading / unloading work.

- (b). Throughout the period during last 17 months, except for 2 months there were restrictions in movement of men & material due to Covid-19 1st & 2nd wave related problems.
 - (c). At times the vessel will have to load / discharge with two / more types / grade of cargo consigned to different consignees. Hence, the draft survey will be carried out by the appointed surveyors after completion of each parcel to ascertain the quantity loaded / discharged at Port. Here the performance norms are to be considered separately.
 - (d). Food Grade cargoes are to be loaded only during the sunny / bright weather conditions. This cargo cannot be loaded during the cloudy/bad weather. Hence, pro-rata performance norms shall be applicable.
 - (e). During the year, with hard efforts / heavy expense, we had mobilized the work force, Heavy Vehicle Drivers/Operators, Supervisors etc. though there was Pandemic-19 – 2nd wave related issues. We had attended to Cargo Handling & Transportation work amidst all odds. As such, it shall not be construed that in case of particular Cargo there appears a scope for upward revision in performance norms. ANMPS submits, that in no case the performance norms are to be increased.
 - (f). In case of Cargo like Bentonite, Fertilizers / Rock phosphate, Stone / Dolomite etc. the constraints are explained. Considering that and the inherent nature of Cargo, ANMPS have requested to decrease the performance norms of certain commodities. This may be considered.
 - (g). Further there is only one Private MHC of 100 MT capacity that too very old attending to Cargo Handling operations. As such in the chart, this time for different Cargo, the performance norms for 1 MHC only be mentioned present Chart it is for 2 MHCs.
- (vi). Based on the meeting the port had with stevedores, and considering the facts and as approved by Chairman, NMPT, TAMP is requested to grant approval for the following in the upcoming review of the NMPT Berthing Policy.
- (a). The performance norms, penalty, incentive and Anchorage charges for dry bulk cargo vessels (except Rock Phosphate vessels) may be continued for another year, i.e. 29 November 2021 to 28 November 2022.
 - (b). A comparison of the current stipulated performance norms and actual performance achieved for Rock phosphate is tabulated below:

Commodity	4 Ship Crane (Tons/Day)		2 Nos. 64 T HMC (Tons/Day)		2 Nos. 100 T HMC (Tons/Day)	
	Existing Norms	Achieved	Existing Norms	Achieved	Existing Norms	Achieved
Rock Phosphate	8200	3412	8000	4192	10000	5571

Rock phosphate is a highly dusty cargo. To minimise dust emanating during handling, the cargo operations are staggered and slowed down. It is to be noted that the discharge of the cargo to trucks is done through hoppers. The vessels importing Rock phosphate are not regular callers to the port. Hence, mobilization of adequate number of hoppers for discharge takes additional time. Therefore, norms for Rock phosphate and other FRM have to be reduced.

- (c). In financial year 2020-21 the Port handled new cargo viz., industrial salt. The actual performance achieved for this cargo is given below:

Commodity	4 Ship Crane (Tons/Day)		2 Nos. 64 T HMC (Tons/Day)		2 Nos. 100 T HMC (Tons/Day)	
	Norms	Achieved	Norms	Achieved	Norms	Achieved
Industrial Salt	--	--	--	13502	--	14528

The norms for industrial salt is proposed to be newly incorporated considering the actual performance of the vessel.

- (d). The proposed norms for these two commodities are given below and may have the same validity period i.e. 28 November 2022.

Commodity	4 Ship Crane (Tons/Day)		2 Nos. 64 T HMC (Tons/Day)		2 Nos. 100 T HMC (Tons/Day)	
	Existing Norms	Proposed Norms	Existing Norms	Proposed Norms	Existing Norms	Proposed Norms
Rock Phosphate	8200	3500	8000	3500	10000	4000
Industrial Salt	--	12000	--	13500	--	14500

3.3. In view of the above, the NMPT has requested the Authority to consider the subject proposal and issue necessary orders.

4. The approval of the Board of Trustees of the NMPT for subject proposal was not accompanied with the proposal. In this regard, we have, vide our letter dated 09 September 2021 requested the NMPT to furnish a copy of the approval of Board of Trustees of NMPT for the subject proposal at the earliest. The NMPT vide its email dated 25 October 2021 has furnished a copy of the approval of Board of Trustees of NMPT for the subject proposal.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the NMPT proposal dated 01 September 2021 and 08 September 2021 was circulated vide our letter dated 09 September 2021 to the concerned users/ user organisations seeking their comments. No user / user organisation furnished their comments.

6. A joint hearing on the case in reference was held on 06 October 2021 through Video Conferencing. The NMPT made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the NMPT and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i). The proposal filed by the NMPT is for extension of Performance Norms and incentive / penalty under the Berthing Policy, 2016 issued by the Ministry of Port, Shipping and Waterways (MOPSW) after review of actual performance undertaken by the port. The validity of performance norms and incentive / penalty under the Berthing Policy, 2016 was first approved by Authority vide its Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 in respect of Dry Bulk Cargo handled at NMPT for period of one year from 29 November 2019 to 28 November 2020. This was further extended vide Order dated 28 October 2020 from the date of its expiry till 28 November 2021 at the request of the port.
- (ii).
 - (a). Clause 7.2 of the Berthing Policy, 2016 issued by the MOPSW requires the Major Port Trusts to review the norms and increase the norms if more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms until target norms are reached. Further, Clause 8.5 of the Berthing Policy stipulate that performance norms will be revised every quarter during the first year until target norms for commodity are reached. Subsequent revisions will be done yearly or upon upgradation of berth infrastructure.
 - (b). As per the Berthing Policy 2016, the port has reviewed the performance norms for the period November 2020 till 30 June 2021.
 - (c). The port has on such review reported that out of 53 vessels handled during this period, 70% of vessels achieved above 5% norms and were awarded incentive, 21% of vessels performed below the norms and penalty was collected, 9% of vessels performed within the prescribed norms and neither incentive nor penalty collected.

- (d). The Port also held a meeting with the registered stevedores of NMPT to review the performance norms on 19 July 2021. In the said meeting, Association of New Mangalore Port Stevedores (ANMPS) and the other stevedoring agents unanimously urged the Port not to increase the performance norms for dry bulk.
- (iii). The main reasons given by the ANMPS / Trade to the port to retain the existing Performance Norms are:
- (a). The Stevedores opined that the effects of pandemic and lockdowns are adversely affecting mobilization of shore equipment and workforce.
- (b). The Port infrastructure has not seen any upgradation and the existing 2 nos. of 64 ton capacity Harbour Mobile Cranes (HMC) owned by port are aging. As such, meeting productivity the prescribed norms is getting harder.
- (c). The 100 tonne private HMC that is made available is also older. But, the norms stipulated for this crane is considerably higher leading to penalty.

In view of the above, the stevedores have requested the Port to minimise the penalty burden on the stevedores and not to increase the existing performance norms.

Based on the outcome of the meeting with the ANMPS / Trade, the NMPT has filed the current proposal for extension of validity of existing Performance norms for all cargo by retaining existing norms except for Rock Phosphate for which the Port has proposed reduction in the performance norms. The Port has also proposed performance norms for new cargo viz. Industrial Salt. The said proposal of the port has been approved by the Chairman of the NMPT.

Along with the said proposal the NMPT has also forwarded a statement showing comparison of the existing Performance Standards as approved vide Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 read with Order dated 28 October 2020 vis-à-vis actual productivity achieved for Rock phosphate along with justification for proposed reduction in Performance Norms.

- (iv). Clause 7.2 of the Berthing Policy stipulates that if more than 60%-70% of ships are achieving the set-norms, then the port should increase the norms.

The port has reported that 70% of vessels have achieved the prescribed norms. However, based on the request made by the ANMPS and the other stevedoring agents to NMPT not to increase the existing performance norms for dry bulk in a meeting held on 19 July 2021, the NMPT has proposed to retain existing Performance norms for all cargo except Rock Phosphate for which the Port has proposed reduction in the performance norms which is dealt with subsequent paragraph.

In view of the above position, and recognising that the proposal to retain the existing productivity norms emanates from the request made by the trade, the Authority approves the proposal of the port.

- (v). As regards Rock Phosphate, the existing performance norms prescribed in the Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 read with Order dated 28 October 2020 and the actual performance achieved by the port for the period from 01 November 2020 till 30 June 2021 brought out in the preceding paragraphs is reproduced below for ease of reference:

Commodity	4 Ship Crane (Tons/Day)		2 Nos. 64 T HMC (Tons/Day)		2 Nos. 100 T HMC (Tons/Day)	
	Existing Norms	Achieved	Existing Norms	Achieved	Existing Norms	Achieved
Rock Phosphate	8200	3412	8000	4192	10000	5571

The port has stated that Rock phosphate is a highly dusty cargo. To minimise dust emanating during handling, the cargo operations are staggered and slowed down. Further, the discharge of the cargo to trucks is done through hoppers. Since vessels importing Rock phosphate are not regular, mobilization of adequate number of hoppers for discharge takes additional time.

Based on the actual performance achieved by the port in handling rock phosphate and for the above stated reasons, the port has proposed to reduce performance to 3,500 tonnes / day for 4 nos. of ship cranes, 3,500 tonnes / day for 2 nos. of 64 tonnes HMC and 4,000 tonnes / day for 2 nos. of 100 tonnes HMC. The port has adequately justified the reasons for proposing revised reduced productivity norms. The ANMPS have also endorsed the reduced performance norms proposed by

the Port for Rock Phosphate.

That being so, the proposal of NMPT in respect of reduced performance norms proposed for Rock Phosphate is approved.

- (vi). The port has also proposed the performance norms for a new commodity “Industrial Salt” based on the actual productivity achieved by the port. In financial year 2020-21, the Port handled only one vessel of this new cargo. Since, the performance norms proposed for Industrial Salt is reportedly based on actual productivity achieved by the port and recognising that it is agreed by users, the proposal of the port in this regard is also approved.
- (vii). During the processing of the case, the ANMPS and other users have mentioned about old HMCs of the port, old vessels with old ship cranes calling at the port and about poor infrastructures at the port which adversely affects the productivity.

In this regard, the NMPT has clarified that out of 53 vessels handled during this period, 70% of vessels have achieved above 5% of the prescribed norms and were awarded incentive. This Performance level would not have been possible if infrastructure facility / cranes at the port were poor. The port has, however, in view of the points made by the users / trade agreed that it will take a call to improve the infrastructure at the port.

- (viii). The port has not proposed any change / modification in the existing incentive and penalty scheme and the conditionalities prescribed in the Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 read with Order dated 28 October 2020. Therefore, the existing incentive and penalty scheme and the conditionalities prescribed in the Order No.TAMP/73/2018-NMPT dated 10 October 2019 read with Order dated 28 October 2020 is continued to be prescribed.
- (ix). The port has stated that the proposed performance norms, penalty, incentive and Anchorage charges for dry bulk cargo vessels is continued for another year, i.e. 29 November 2021 to 28 November 2022. The port has, however, not proposed the entire schedule along the incentive/ penalty and the existing conditionalities. It is seen that the proposal of the port is not for pure extension of the existing performance norms. For rock phosphate the port has proposed reduction and the port has also proposed performance norms for new cargo viz. industrial salt. In view of the above, it is felt appropriate that the existing performance norms along with the reduced performance norms for rock phosphate and new performance norms for industrial salt proposed by the port along with existing incentive and penalty scheme and existing conditionalities prescribed in the Order No TAMP /73/2018-NMPT dated 10 October 2019 are notified to have a consolidated position and for ease of implementation. That being so, the entire schedule is notified by the Authority.
- (x). The Berthing Policy, 2016 requires the port to undertake annual review of performance norms. The port has proposed to retain the existing performance norms alongwith revised Performance norms for Rock Phosphate and Performance Norms for new cargo viz., Industrial Salt from 29 November 2021 for a period of one year i.e. till 28 November 2022. The validity of Performance Norms proposed by the port for one year is as per Berthing Policy 2016. Hence, the proposal of the Port is approved.
- (xi). **The port had not furnished a copy of Board of Trustees of NMPT on subject proposal despite request till finalization of case. Later on 25 October 2021, NMPT has forwarded a copy of Board approval of NMPT for the subject proposal. On perusing the Board approval, it is seen that there is mismatch in the Performance Standards of Industrial Salt in the Board approval vis-à-vis proposal sent to TAMP on which consultation with stakeholders was done. The Performance Standards for Industrial Salt proposed by NMPT to TAMP is 13500 tonnes / day and 14500 tonnes / day as against actual performance achieved at 13502 tonnes / day and 14528 tonnes / day for 2 nos. of 64 T HMC and 2 nos. of 100 T HMC respectively. The Board of Trustees of the NMPT has ratified the proposal submitted to TAMP in this regard. However, in the note submitted by the Port to the Board of Trustees of the NMPT, the proposed Performance Standards for Industrial Salt is shown as 13000 tonnes / day and 16000 tonnes / day for 2 nos. of 64 T HMC and 2 nos. of 100 T HMC respectively which does not match with the Performance Standards proposed by NMPT in its proposal sent to TAMP on which consultation with stakeholders was done. In view of the above, NMPT may get the correct Performance Standards for Industrial Salt ratified by its Board. That being so, the approval accorded by this Authority in this Order is subject to Board of Trustees of NMPT approving the Performance Standards proposed by the NMPT to TAMP. The NMPT is**

requested to furnish a copy of the relevant Board resolution approving the proposal of the port for our records.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of NMPT for extension of existing Performance norms along with revised reduced Performance Norms for Rock Phosphate and Performance Norms proposed for a new cargo viz., Industrial Salt and accordingly the amended Performance Norms which has already been notified separately in the Gazette of India on 01 November 2021 vide Gazette No.537.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./438/2021-22]